राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1043/2016

यशपाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. खगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, रामावि, बासबुजा नगर, भरतपुर।
4. उदय चन्द शर्मा, अध्यापक अंग्रेजी, द्वितीय श्रेणी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, खानवा, रूपवास, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.06.2016
आदेश की दिनांक : 06.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 15.03.2005 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति खगेन्द्र सिंह एवं उदय चन्द शर्मा की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर आदेश दिनांक 21.04.2016 के द्वारा की गयी और अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति दी गयी। अतः अपीलार्थी भी वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता अंग्रेजी के स्थान पर अर्थशास्त्र अंकित हो गयी थी, जिसे आदेश दिनांक 20.05.2016 द्वारा संशोधित किया गया। इस कारण से अपीलार्थी पूर्व में हुई पदोन्नति से वंचित रह गया। यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी का नाम पूर्व में वरिष्ठता सूची में नहीं होने एवं

उसके उपरान्त विषय संशोधन भी पूर्व में नहीं होने से अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का सेवा रिकॉर्ड सही प्रकार से संधारित नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया था और इसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं थी। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में वर्ष 2012–13 की वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पदों की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाए। यदि अपीलार्थी पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने के लिये डीपीसी योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)